M.P. CIVIL JUDGE CLASS-2 (ENTRY LEVEL) MAIN EXAM -2019 (Phase-II)

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

Total No. of Questions : 18
कुल प्रश्नों की संख्या : 18

No. of Printed Pages : 4
मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 4

CONSTITUTION, CIVIL LAW & PROCEDURE
संविधान, व्यवहार विधि एवं प्रक्रिया

First Question Paper
प्रथम प्रश्न–पत्र

समय – 3:00 घण्टे
Time Allowed – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks – 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of own or any Name or Roll No. or any Number or any mark of identification in any form in any place of the Answer Book not provided for, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.
सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो ऐसी उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

Q.No./ प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks/ अंक

CONSTITUTION OF INDIA
भारत का संविधान

1. Discuss right to freedom of religion under constitution of India and explain it's limitations. 8
भारतीय संविधान के अन्तर्गत प्रदान की गई धार्मिक स्वतंत्रता की विवेचना करें एवं इसकी सीमाओं की व्याख्या करें ?

2. Describe the Fundamental Duties provided under the Constitution of India ? 4
भारत के संविधान में प्रावधानित मूलभूत कर्तव्यों का वर्णन कीजिए ?

3. Describe "Preamble of Constitution of India" in brief. 4
"भारतीय संविधान की उद्देशिका" के विषय में संक्षिप्त में विवरण दीजिये।

CIVIL PROCEDURE CODE, 1908
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

4. Explain the law relating to transfer of decree to another Court for execution? 8
निष्पादन के लिए किसी अन्य न्यायालय को आज्ञप्ति के अंतरण से संबंधित विधि की व्याख्या करें।

5. Discuss legal provisions relating to appointment & duties of Receiver? When collector may be appointed as Receiver? 4
रिसीवर की नियुक्ति एवं कर्तव्यों से संबंधित विधिक प्रावधानों की विवेचना करें? कब कलेक्टर रिसीवर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है?

6 Discuss the scope of "cross-objection" under order 41 Rule 22 of the CPC ? 4
आदेश 41 नियम 22 सी.पी.सी. के अधीन "प्रत्याक्षेप" की विवेचना कीजिए ?

TRANSFER OF PROPERTY ACT, 1882
संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882

7. Describe the law relating to Gift. When Gift may be suspended or revoked ? 8
दान से संबंधित विधि का वर्णन करें। कब दान को निलंबित या प्रतिसंहृत किया जा सकता है?

8. What is "Actionable Claim" & how it can be transferred? 4
अनुयोज्य दावे क्या हैं और यह किस प्रकार अन्तरित किए जा सकते हैं?

9. What is rule against "perpetuity" ? 4
"शाश्वतता" के विरूद्ध नियम क्या हैं ?

INDIAN CONTRACT ACT, 1872
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872

10. "An agreement to do an act impossible in itself is void." Referring this statement, explain the 'doctrine of frustration' and the specific grounds of frustration. 8
"वह करार, जो ऐसा कार्य करने के लिए हो, जो स्वतः असंभव है, शून्य है।" इस कथन के सन्दर्भ में 'असम्भवता के सिद्धांत' को स्पष्ट कीजिए और असम्भवता के विशिष्ट आधारों को बताइए।

11. Write a short note on 'Wagering contract'. 4
'पंद्यम् करार' पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

12. Define & discuss Bailment, bailor & bailee with reference to relevant legal provisions. 4
सुसंगत् विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में "उपनिधान" "उपनिधाता" और "उपनिहिती" को परिभाषित व विवेचित करें।

SPECIFIC RELIEF ACT, 1963
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963
(Chapter I, II and VI to VIII)

13. What contracts can be specifically performed under the Specific Relief Act, 1963? Explain the rescission of contracts with illustrations. 8
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के अंतर्गत कौन सी संविदाओं का विनिर्दिष्टतः अनुपालन कराया जा सकता हैं ? संविदाओं के विखण्डन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।

14. What is "Substituted performance of contract"? Discuss. 4
"संविदा का प्रतिस्थापित पालन" क्या है? विवेचना करें ?

15. What do you understand by a declaratory decree? What is its practical utility? 4

घोषणात्मक आज्ञप्ति से आप क्या समझते हैं ? इसकी व्यावहारिक उपयोगिता क्या है ?

LIMITATION ACT, 1963
परिसीमा अधिनियम, 1963
(Part II & III)

16. Once time has begun to run, no subsequent disability stops it. Discuss. 4
"एक बार समय चलना प्रारम्भ हो जाए, तो पश्चात्वर्ती निर्योग्यता से वह नहीं रूकता।" व्याख्या करें।

17. Define "Written Acknowledgement" & discuss its effects. 4
"लिखित अभिस्वीकृति" को परिभाषित करें और इसके प्रभाव की विवेचना करें।

MIXED
मिश्रित

18. **Write Short-notes on / संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये : -**

(A) Difference between charge and lien 4
(अ) भार तथा धारणाधिकार में अंतर

(B) Suit by indigent person. 4
(ब) अकिंचन व्यक्ति द्वारा वाद।

(C) Fraudulent Transfer 4
(स) "कपटपूर्ण अन्तरण"

---XXX---

M.P. CIVIL JUDGE CLASS-2 (ENTRY LEVEL) MAIN EXAM -2019 (Phase-II)

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

कुल प्रश्नों की संख्या : 5
Total No. of Questions : 5

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 7
No. of Printed Pages : 7

ARTICLE & SUMMARY WRITING
लेखन एवं संक्षेपण

Second Question Paper
द्वितीय प्रश्न–पत्र

समय – 3:00 घण्टे
Time Allowed – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks - 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।
2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of own or any Name or Roll No. or any Number or any mark of identification in any form in any place of the Answer Book not provided for, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
   उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।
3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.
   सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

Q.No. / प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks /अंक

1. Write an article in Hindi or English, on any one of the following ***social*** topics: **30**

निम्नलिखित ***सामाजिक*** विषयों में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लेख लिखिए:

(i) Empowerment of women.
महिलाओं का सशक्तिकरण

(ii) Economic & social impact of covid-19 pandemic
कोविड–19 महामारी के आर्थिक व सामजिक प्रभाव

2. Write an article in Hindi or English, on any one of the following ***legal*** topics:- **20**

निम्नलिखित ***विधिक*** विषयों में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लेख लिखिए :

(i) Access to justice during the lock down
लॉकडाउन के दौरान न्याय तक पहुँच।

(ii) Live-in Relationship - rights and liabilities.
लिव इन रिलेशनशिप – अधिकार एवम दायित्व

3. **Summarize one of the following English /Hindi passage –** **20**
निम्नलिखित अंग्रेजी/हिन्दी अंश में से किसी एक का संक्षिप्तिकरण कीजिए –

India is perhaps the world's most heterogeneous society with a rich heritage comprising several people ascribing to their own cultures, languages, religions and customs. It is home to eight major religions of the world. The Indian Constitution recognises religion as a source of law. With a view to protecting the rights of minorities it confers affirmative, social and cultural rights on religious groups. It guarantees the freedom of religion but enables the state to regulate religious practices on certain limited grounds.

The unique pledge of the Indian state is to treat all religions equally, which is a central tenet of the definition of secularism as understood in the context of the Constitution. Secularism simply means equal status of all religions, without any preference in favour of or discrimination against any of them.

The two central provisions regarding freedom of religion are Articles 25 and 26 of the Constitution. Article 25 guarantees the right to profess, practice and propagate religion, but also permits the state to regulate economic, financial, political or other secular activity associated with the religious practice. Article 26 guarantees religious denominations, among other things, freedom to manage their religious affairs.

The Constitution therefore guarantees freedom of religion, but also acknowledges the imperative of the state to pass legislation in aid of social reform. To balance these competing prerogatives, the Supreme Court has developed the doctrine of "essential religious practices". In cases involving asserted religious rights against regulatory state action, the court asks whether the religious practice sought to be regulated is "essential" or "integral" to the religion. This is a threshold enquiry, at the passage of which the court then asks whether the challenged law serves some purpose of reform or not. Applying this test, the court has considered a plethora of case involving controls of administration of religious property, religious practices and religious sites. The court has also held that pernicious practices such as caste-based discrimination in entry to temples, enjoys no constitutional protection.

The importance of the concept of secularism and the Constitution's guarantee of religious freedom even against the dominant public sentiment came to the fore in Bijoe Emmanuel v State of Kerala. The three appellants were school children who belonged to the Jehovah's Witnesses, a worldwide sect of Christians. During the morning assembly at school, the children stood during the recitation of the national anthem, but they refused to sing it on the ground that it was against the tenets of their religious faith. This belief has been well-established and recognised the world over and has been upheld by various courts of other jurisdictions. The Supreme Court held that the refusal to sing did not violate the Prevention of Insults to National Honour Act. 1971. The court upheld the right of an insignificant minority to retain its identity under the Constitution and maintain its religious beliefs.

In other judgments, the Supreme Court had affirmed that secularism is the bedrock of the Constitution. In S.R. Bommai and Ors Union of India and Ors, it held that in case a state government acted contrary to the constitutional mandate of secularism or worse still, directly or indirectly subverted the secular principles, that would tantamount to failure of the constitutional machinery and the state

government would make itself liable to dismissal under Article 356 of the Constitution.

Subsequently, in I. R. Coelho v State of Tamil Nadu, the court further expanded the concept of secularism and stated that the right to life under Article 21 and the right to equality under Articles 14 and 15 represent secularism in the Constitution, thereby expanding the meaning of secularism from mere religious rights to a concept where equity and equality is achieved in society.

अथवा / OR

भारत एक समृद्ध विरासत लिये हुए दुनिया का सबसे विषम समाज है, जिसके विभिन्न निवासी अपनी ही संस्कृति, भाषा, धर्म एवं रीत रिवाज को धारण किए हुए हैं। यह दुनिया के आठ प्रमुख धर्मों का जन्म स्थान है। भारतीय संविधान ने धर्म को कानून के एक स्त्रोत के रूप में मान्यता दी है एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों की संरक्षा करने के उद्देश्य से धार्मिक समूहों को सकारात्मक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किये हैं। भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी तो देता है, किन्तु कुछ सीमित आधारों पर धार्मिक क्रियाकलापों को नियंत्रित करने की शक्ति भी राज्य को देता है।

भारतीय संविधान के संदर्भ में पंथनिरपेक्षता की जो परिभाषा समझी जाती है उसमें भारत राज्य की सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने की अनूठी प्रतिज्ञा पंथनिरपेक्षता का केन्द्रीय सिद्धांत है। पंथनिरपेक्षता का अर्थ है बिना किसी भेदभाव या पक्षपात के सभी धर्मों की समान स्थिति।

भारतीय संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित दो प्रमुख प्रावधान अनुच्छेद 25 एवं 26 हैं। अनुच्छेद 25 धर्म को आबाध रूप से मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने की गारंटी तो देता है, किन्तु राज्य को धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक वित्तीय राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलापों को विनियमित करने की भी अनुज्ञा देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक सम्प्रदायों को अन्य स्वतंत्रताओं के साथ साथ धार्मिक क्रियाकलापों को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

अस्तु संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी तो देता है, किन्तु सामाजिक सुधार में सहायक कानून पारित करने की राज्य की अनिवार्यता को भी स्वीकार करता है। इन प्रतिस्पर्धी परमाधिकारों में सामांजस्य बैठाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने मूलभूत धार्मिक क्रियाकलाप के सिद्धांत को विकसित किया है। राज्य के नियामक कदम के विरूद्ध मुखरित धार्मिक स्वतंत्रता के मामलों में न्यायालय यह प्रश्न करती है कि क्या विनियमित क्रियाकलाप ऐसे धर्म का मूलभूत या अविभाज्य क्रियाकलाप है, या नहीं। यह जांच प्रारंभिक प्रकृति की होती है, जिसके बीत जाने के पश्चात् न्यायालय यह प्रश्न करती है कि ऐसा विनियमन करने वाली कोई विधि सामाजिक सुधार के किसी उद्देश्य को पूरा करती है या नहीं। इस कसौटी को लागू करके न्यायालय ने बहुतायत में धार्मिक संपत्ति के प्रशासन को, धार्मिक क्रियाकलाप एवं धार्मिक स्थलों के नियंत्रण से संबंधित प्रकरणों का विचारण किया है। न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि मंदिरों में प्रवेश की, जाति भेद आधारित दुखदायी प्रथाएं किसी प्रकार का संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं करती।

प्रबल सार्वजनिक भावना के विरूद्ध पंथनिरपेक्षता की अवधारणा का महत्व एवं धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी की बात बिजोय इमैनुएल बनाम केरल राज्य में सामने आई। तीनों अपीलार्थी स्कूली बच्चे थे, जो दुनिया भर में फैले हुए ईसाई धर्म के समुदाय यहोव साक्षी (जिहोवा विटनेस) से संबंधित थे।

स्कूल के प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान के दौरान तीनों बालक खड़े रहे, किन्तु उन्होंने राष्ट्रगान गाने से इसलिए इनकार कर दिया कि वह उनके धार्मिक विश्वास सिद्धांत के विरूद्ध है। ऐसा विश्वास पूरी दुनिया भर में दृढ़ता से स्थापित एवं मान्यता प्राप्त है एवं अन्य क्षेत्राधिकार से संबंधित न्यायालयों द्वारा भी बरकरार रखा गया है। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि राष्ट्रगान गाने से इनकार करने से "राष्ट्रीय गौरव का अपमान निवारण अधिनियम 1971" अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता। अदालत ने संविधान के तहत महत्वहीन अल्पसंख्यक के उनकी पहचान बनाये रखने एवं धार्मिक मान्यताओं को प्रबंधित करने के अधिकार को बरकरार रखा है।

अन्य न्याय निर्णयों में भी सर्वोच्च न्यायालय ने भी पंथनिरपेक्षता को संविधान के आधार के रूप में स्वीकार किया है। एस.आर.बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि राज्य सरकार ने पंथनिरपेक्षता के संवैधानिक जनादेश के विरूद्ध कार्य किया और इससे भी बद्तर प्रत्यक्षतः या परोक्षतः पंथनिरपेक्षता के सिद्धांतों को उलट दिया, जो राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता एवं राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत बर्खास्त किये जाने का स्वयं दायित्वाहीन आधार गठित करती है।

पश्चात्वर्ती मामले आई.आर. कोहिलो बनाम तामिलनाडु राज्य में न्यायालय ने पंथनिरपेक्षता की अवधारणा को विस्तारित करते हुए कहा कि अनुच्छेद 21 में निहित जीवन का अधिकार एवं अनुच्छेद 14 एवं 15 में निहित समानता का अधिकार पंथनिरपेक्षता का प्रतिनिधित्व करता है एवं इस प्रकार पंथनिरपेक्षता की मात्र धार्मिक अधिकार की अवधारणा को इस रूप में विस्तारित किया गया कि पंथनिरपेक्षता से समाज में समता एवं साम्यता के उद्दश्यों को हासिल किया जा सके।

4- Translate the following 15 Sentences into English :- **15**

निम्नलिखित 15 वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए :—

(1) यह सुस्थापित है कि एफ.आई.आर. दर्ज कराने में विलम्ब दावेदार के प्रकरण पर शंका करने का आधार नहीं हो सकता।

(2) अधिनियम की धारा 138 उपबन्धित करती है कि जहां एक चैक अनादरित होता है, यह समझा जाएगा कि चैक लिखने वाले व्यक्ति ने अपराध कारित किया है।

(3) अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए विचारण न्यायालय ने उक्त परिस्थितियों पर विचार नहीं किया है।

(4) उच्च न्यायालय की पुर्नविलोकन की शक्तियां बहुत सीमित होती है और त्रुटियां अभिलेख को देखने से ही प्रकट होनी चाहिये ।

(5) प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी द्वारा लगाये गये समस्त अभिकथनों को इंकार किया।

(6) परिवादी ने उसकी स्वयं एवं उसके साक्षियों के कथन कराये एवं परिवाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत की।

(7) बचाव में कमी वादीगण को अनुतोष देने और सबूत का भार प्रतिवादीगण पर अन्तरित करने का आधार नहीं हो सकती ।

(8) प्रथम सूचना रिपोर्ट को अपराध का विश्वकोष होना आवश्यक नहीं है।

(9) न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग रोकने के लिए उपयुक्त आदेश पारित करने हेतु न्यायालयों के पास सभी आवश्यक शक्तियॉ हैं।

(10) एक बार विवाद्यक विरचित हो जाने के बाद तथा लिखित कथन प्रस्तुति के पश्चात् प्रस्तुत प्रतिदावे पर न्यायालय विचार नहीं कर सकता।

(11) साक्षियों के कथन पूर्णता में पढ़े जाने चाहिए शब्दों और वाक्यों को अलग कर विलगता से नहीं पढ़ा जा सकता।

(12) पहचान परेड परीक्षा में भाग लेने से इनकार करना अभियुक्त के दोषी अन्तःकरण को स्थापित करता है और इस तथ्य को सारवान महत्व दिया जाना चाहिए।

(13) न्यायालय को न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ऐसी शक्ति और विवेकाधिकार है कि वह किसी आवश्यक दस्तावेज को प्रस्तुत करने और ग्राह्य करने का आदेश दे सकती है।

(14) कारण लिखना यह सुनिश्चित करता है कि निर्णयकर्ता द्वारा अनुचित बातों को अमान्य करने के द्वारा सुसंगत आधारों पर निर्णय लेने में विवेक का प्रयोग किया गया है।

(15) पट्टे के पर्यवसान पर पट्टेदार, पट्टाकर्ता को सम्पत्ति का कब्जा देने के लिये आबद्ध है।

5. **Translate the following 15 Sentences into Hindi :-** **15**
निम्नलिखित 15 वाक्यों का हिन्दी में अनुवाद कीजिए :–

(1) The trial court ordered for effecting partition by metes and bounds accordingly.

(2) Hence, the impugned orders are patently illegal, arbitrary and deserve to be set aside.

(3) It is not purely interlocutory in nature, but quasi-final or intermediate order.

(4) Whether mental awareness of a particular place is a fact contemplated in Section-27 of the Evidence Act ?

(5) Probative value of the material on record has to be seen by the court.

(6) As per the autopsy report the injuries were antemortem and the cause of death was smothering and throttling.

(7) Reasoned order is indeed the blood of judicial life and justifies the principle that "Reason is the soul of justice."

(8) It is settled law that first information report and statements recorded under section 161 of Cr.P.C. are not substantial evidence.

(9) It shall be the duty of every citizen of India to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India.

(10) The learned Trial Court has held that the prosecution has proved the case beyond reasonable doubt.

(11) The court may at any stage of the suit, reject any document which it considers irrelevant or otherwise inadmissible, recording the ground.

(12) In the case of a continuing offence a fresh period of limitation shall begin to run every moment of the time during which the offence continues.

(13) Whether the plaintiff is entitled to any interest, if yes, then from which date and on what amount ?

(14) A common nuisance is not excused on the ground that it causes some convenience and advantage.

(15) This provision does not extend to the case in which harbouring is by the husband or wife of the offender.

****

M.P. CIVIL JUDGE CLASS-2 (ENTRY LEVEL) MAIN EXAM -2019 (Phase-II)

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

Total No. of Questions : 18
कुल प्रश्नों की संख्या : 18

No. of Printed Pages : 4
मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 4

LOCAL LAWS, CRIMINAL LAWS & PROCEDURE
स्थानीय विधि, अपराध विधि एवं प्रक्रिया

Third Question Paper
तृतीय प्रश्न–पत्र

समय – 3:00 घण्टे
Time Allowed – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks – 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of own or any Name or Roll No. or any Number or any mark of identification in any form in any place of the Answer Book not provided for, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.
सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

Q.No. / प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks / अंक

M.P. ACCOMMODATION CONTROL ACT, 1961
म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961

1. Under what circumstances does an appeal lie against the order of Rent controlling authority ? Explain the provision related to second appeal. 8

   भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील किन परिस्थितियों में प्रस्तुत की जा सकेगी ? द्वितीय अपील से संबंधित प्रावधान की व्याख्या करें।

2. Is there any provision in the M.P. Accommodation Control Act, 1961 for letting an accommodation for a limited period? If so, explain the relevant provision. 4

   क्या म. प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 में सीमित समय के लिए भवन किराये पर दिए जाने का कोई प्रावधान है? यदि हाँ तो सुसंगत प्रावधान को स्पष्ट कीजिए।

3. Explain the special obligations of landlords with respect to tenanted premises. 4

   किराएदारी परिसर के संदर्भ में भू–स्वामियों की विशेष बाध्यताओं का वर्णन करें?

M.P. LAND REVENUE CODE, 1959
म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959

4. How *Nistar Patrak* is prepared? What are the matters which shall be provided for in the *Nistar Patrak?* 8

   निस्तार पत्रक कैसे तैयार किया जाता है? निस्तार पत्रक में किन विषयों के संबंध में उपबंध किया जावेगा?

5. What is meant by "Improvement" with reference to a holding? What is included in "Improvement" and what is not included in "Improvement". 4

   किसी खाते के संदर्भ में "सुधार" से क्या अभिप्राय है? "सुधार" में क्या–क्या शामिल है और क्या–क्या शामिल नहीं है?

6. What is the procedure for diversion of Land? When can an applicant presume that the permission is granted? When is permission for diversion not required? 4

   भूमि के व्यपवर्तन की क्या प्रक्रिया है? एक आवेदक कब अनुमति दिए जाने की उपधारणा कर सकेगा ? कब व्यपवर्तन के लिए अनुमति आवश्यक नहीं है ?

INDIAN EVIDENCE ACT, 1872
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

7. When and to what extent is evidence of character relevant and admissible in Civil and criminal proceedings ? Is a previous conviction relevant against the accused ? if yes, then when ? 8

सिविल एवं आपराधिक कार्यवाहियों में शील की साक्ष्य कब और किस सीमा तक सुसंगत एवं ग्राह्य है ? क्या कोई पूर्व दोषसिद्धि अभियुक्त के विरूद्ध आपराधिक विचारण में सुसंगत है? यदि हाँ, तो कब ?

8. Describe Judge's Power to put questions or order production of any document or thing under section 165 of the Indian Evidence Act, 1872 ? 4

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 165 के अंतर्गत प्रश्न करने या दस्तावेज या किसी वस्तु को प्रस्तुत करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति का वर्णन कीजिए।

9. When & how may a witness refresh his memory? Explain referring to case laws. 4

एक साक्षी अपनी "स्मृति" कब और कैसे ताजा कर सकता है? न्यायदृष्टान्तों का संदर्भ देते हुए स्पष्ट करें?

INDIAN PENAL CODE, 1860
भारतीय दण्ड संहिता, 1860

10. Explain 'preparation to commit crime' and 'attempt to commit crime', and point out the distinction between them. 8

'अपराध कारित करने की तैयारी' और 'अपराध कारित करने का प्रयास' की व्याख्या करें और उनके मध्य अंतर को इगिंत कीजिए।

11. Define criminal force, hurt and grievous hurt ? 4

आपराधिक बल, उपहति एवं घोर उपहति की परिभाषा दीजिए ?

12. What is "Forgery". When is a person said to have made a false document ? 4

"कूट रचना" क्या है? कब किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसने मिथ्या दस्तावेज की रचना की है?

CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

13. For what offences/ or accused persons, Plea Bargaining under Chapter XXI-A of Code of Criminal Procedure, 1973 is applicable? 8

Describe the guidelines provided under Section 265C of Code of Criminal Procedure for mutually satisfactory disposition of Criminal cases on the basis of Plea Bargaining.

सौदा अभिवाक् से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अध्याय 21–क कौन से अपराधों या अभियुक्त व्यक्तियों पर लागू होता है ?

दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 265ग के अंतर्गत सौदा अभिवाक् के अंतर्गत दाण्डिक प्रकरणों के पारस्परिक संतोषप्रद निराकरण के लिए दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों का वर्णन कीजिए।

14. Distinguish between cognizable and non-cognizable offence. 4

संज्ञेय तथा असंज्ञेय अपराध में विभेद कीजिए।

15. Describe the Powers of Criminal Courts to inflict punishments ? 4

दाण्डिक न्यायालयों की दण्डादेश अधिरोपित करने संबंधी शक्तियों का वर्णन कीजिए।

NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881
परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

16. Explain the Law relating to cognizance of offence under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881. 4

परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत अपराध के संज्ञान संबंधी विधि समझाइये।

17. Discuss in brief, how recording of evidence in N.I. Act cases differs from Criminal cases registered upon complaint. 4

परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत अभिलिखित की जाने वाली साक्ष्य एवं परिवाद पर संस्थित् अन्य आपराधिक प्रकरणों में ली जाने वाली साक्ष्य के मध्य अन्तर की संक्षेप में व्याख्या करें।

MIXED
मिश्रित

18. **Write Short-notes on / संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये : -**

(A) Withdrawal from prosecution 4

(अ) "अभियोजन का वापस लिया जाना"

(B) Cancellation of bail 4

(ब) जमानत का रदद्करण

(C) Define "proved", "disproved" and "not proved". 4

(स) "साबित", "नासाबित" एवं "साबित नहीं हुआ" को परिभाषित कीजिए।

****

M.P. JUDICIAL SERVICE (CIVIL JUDGE) MAIN EXAM-2019(Phase-II)

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

कुल प्रश्नों की संख्या : 4
Total No. of Questions : 4

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 14
No. of Printed Pages : 14

JUDGMENT WRITING
निर्णय लेखन

Fourth Paper
चतुर्थ प्रश्न–पत्र

समय – 3:00 घण्टे
Time Allowed – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks - 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of own or any Name or Roll No. or any Number or any mark of identification in any form in any place of the Answer Book not provided for, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.
सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

Q.No./ प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks/ अंक

SETTLEMENT OF ISSUES
विवाद्यकों का स्थिरीकरण

Q.1 Settle the issues on the basis of the pleadings given here under - **10**

PLAINTIFF'S PLEADINGS :- Plaintiff's Case is that he entered into an agreement with the defendant to purchase a plot measuring 40 x 20 = 800 Sq feet situated at village A for consideration of Rs. 25,000/- (Twenty Five Thousand) on 8th November 2007.The plot is surrounded by main road in the North, by a lane in the South, by house of "C" in the East, and by house of "D" in the West. The defendant was in possession and title-holder of the said plot. The defendant received sum of Rs. 5,000 /- (Five Thousand) as an advance and executed an agreement on 8-11-2007 in presence of witnesses. It was agreed upon that the defendant would execute a registered sale deed by 8-1-2008 after receiving balance consideration of Rs. 20,000/- (Twenty Thousand) from plaintiff.

The defendant did not execute the sale deed till 8-1-2008 and did not get the plot measured. Plaintiff served a notice dated 26-1-2008 on the defendant for execution of registered sale deed after measurement of the plot, but the defendant failed to perform his part of the contract. The defendant has tried to grab the amount of consideration paid by the plaintiff. Thus the suit for specific performance of contract valued at Rs. 20,000/- (Twenty Thousand) was filed.

WRITTEN STATEMENT :- The defendant denied the case of plaintiff on the ground that there was no condition for measurement of disputed plot prior to execution of registered sale

deed, as the plot was already measured and details were given in agreement dated 8-11-2007. Defendant's contention is that he was present at Registrar's office on 8-1-2008 along with his documents of title. Defendant had already given notice to the plaintiff, to remain present before Registrar's office, prior to 8-1-2008 but the plaintiff did not appear before Registrar on 8-1-2008. He also did not pay the balance amount of consideration. Thus the defendant has performed his part of the contract. The allegation regarding defendant's intention, to grab advance money, paid to him by the plaintiff is false. Plaintiff has under valued the suit as the agreement was for a consideration of Rs. 25,000 (Twenty Five Thousand). The suit is liable to be dismissed with cost.

निम्नलिखित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये।

वादी के अभिवचन – **वादी का मामला यह है कि उसने 8 नवम्बर, 2007 को 25,000 (पच्चीस हजार रूपये)** के प्रतिफल के लिये ग्राम 'अ' में अवस्थित 40 x 20 = 800 वर्ग फीट अधिमाप के भू खण्ड का क्रय करने के लिये प्रतिवादी के साथ करार किया था। वह भू खण्ड उत्तर में प्रमुख मार्ग द्वारा, दक्षिण में गली द्वारा, पूर्व में 'स' के गृह द्वारा और पश्चिम में 'द' के गृह द्वारा घिरा हुआ है। प्रतिवादी उस भूखण्ड के कब्जे में था और उसका हकदार था। प्रतिवादी ने बतौर अग्रिम 5000 (पांच हजार) रूपये प्राप्त किये थे और साक्षियों की उपस्थिति में 8.11.2007 को करार निष्पादित किया था । यह तय पाया गया था कि प्रतिवादी, वादी से 20,000 (बीस हजार रूपये) के शेष प्रतिफल को प्राप्त करने के पश्चात 8.1.2008 तक पंजीकृत विक्रय विलेख का निष्पादन करेगा।

प्रतिवादी ने 8.1.2008 तक विक्रय विलेख का निष्पादन नहीं किया और उसने भूखण्ड की नप्ती नहीं करायी । वादी ने भूखण्ड की नप्ती के पश्चात पंजीकृत विक्रय विलेख के निष्पादन हेतु प्रतिवादी को 26.1.2008 को नोटिस तामील की थी लेकिन प्रतिवादी संविदा के अपने भाग का पालन करने में विफल रहा। प्रतिवादी ने वादी द्वारा संदत्त प्रतिफल की धनराशि को हथियाने का प्रयास किया है। इस प्रकार 20,000 (बीस हजार रूपये) का मूल्यांकन कर संविदा के विर्निदिष्ट पालन का वाद दाखिल किया ।

प्रतिवादी के अभिवचन – प्रतिवादी ने वादी के मामले से इस आधार पर प्रत्याख्यान किया कि पंजीकृत विक्रय विलेख के निष्पादन के पूर्व विवादित भूखण्ड के अधिमाप की कोई शर्त नहीं थी क्योंकि भूखण्ड की पहले से ही नप्ती हो चुकी थी और दिनांक 8.11.2007 के करार में ब्यौरा दिया गया था। प्रतिवादी का यह कहना है कि वह हक के अपने दस्तावेजों के साथ 8.1.2008 को उप पंजीयक के कार्यालय में उपस्थित हुआ था। प्रतिवादी पहले ही, वादी को 8.1.2008 के पूर्व, उप पंजीयक के कार्यालय में उपस्थित होने के लिये सूचना दे चुका था लेकिन वादी 8.1.2008 को उप पंजीयक के समक्ष उपसंजात नहीं हुआ। उसने प्रतिफल की शेष राशि भी संदाय नहीं की। इस प्रकार, प्रतिवादी ने संविदा के अपने भाग का पालन किया है। प्रतिवादी के वादी द्वारा उसे संदत्त अग्रिम धन को, हथियाने के आशय के, सम्बन्धित अभिकथन मिथ्या है। वादी ने वाद का अवमूल्यन किया है क्योंकि 25,000 (पच्चीस हजार रूपये) के प्रतिफल हेतु करार हुआ था । वाद सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

FRAMING OF CHARGES
आरोपों की विरचना

Q. 2 Frame a charge/charges on the basis of allegations given here under.- **10**

PROSECUTION CASE / ALLEGATIONS –

The prosecution case in brief is that complainant 'C', a bank manager, on date 26/01/2021 submitted a written application at city Kotwali Bhopal in which it was mentioned that on 25/01/2021, at about 7:00 PM in the evening, when he was coming back from his office, suddenly accused 'A' and 'B' because of previous enmity with 'C' came to beat him with lathis. Accused 'B' asked 'A' to beat 'C' with Lathi. However, on B's instigation, 'A' slapped 'C' and also assaulted him with lathi, because of which 'C' sustained two injuries. In the medical examination, one fracture was found over his left hand, and another simple injury was also found over the face of the complainant.

निम्नलिखित अभिकथनों के आधार पर आरोप विरचित कीजिये –

अभियोजन का प्रकरण/अभिकथन :–

अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है, कि फरियादी 'सी', बैंक मेनेजर, ने दिनांक 26.01.2021 को सिटी कोतवाली भोपाल में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें यह उल्लेख किया गया था, कि दिनांक 25.01.2021 को सायं 7:00 बजे के करीब जब वह अपने कार्यालय से वापस लौट रहा था, तभी वहां अचानक अभियुक्त 'ए' एवं 'बी' पुरानी बुराई के चलते फरियादी 'सी' को लाठी से मारने आये थे। अभियुक्त 'बी' ने 'ए' को लाठी से 'सी' को मारने के लिये कहा। तथापि, 'बी' के उकसाने पर 'ए' ने 'सी' को थप्पड़ मार दिया और लाठी से भी प्रहार किया, जिसके कारण 'सी' को दो चोटें आई। मेडिकल परीक्षण में उस के बायें हाथ में एक अस्थिभंग पाया गया तथा फरियादी के चेहरे पर एक साधारण चोट भी पाई गई।

JUDGMENT/ORDER (CIVIL) WRITING (CJ-II)
निर्णय/आदेश (सिविल) लेखन (CJ-II)

Q. 3 Write a judgment on the basis of pleadings and evidence given hereunder after framing necessary issues and analyzing the evidence, keeping in mind the provisions of relevant Law/Acts :- 40

Plaintiff's Pleadings **:-**

1. Plaintiff 'P' have filed a suit for declaration of ownership and also for the recovery of possession of the land bearing survey no 1011, area 8 acres, situated in village Bareli, District Raisen, M.P (hereinafter referred to as the "suit property") against his cousin brother Defendant 'D'.

2. According to plaintiff's, suit property is the ancestral property of his father 'F'. Late 'F', his father was the owner as well as possession holder of the suit property. After the death of Plaintiff's father in year 2011, Plaintiff being the only legal heir of the deceased 'F', became the owner of the suit property. But defendant 'D' in collusion with revenue officers, with intention to usurp the suit property, got mutated his name over the suit property through a forged Will and dispossessed the plaintiff forcefully.

3. That the cause of action arose when the plaintiff got to

know about the mutation proceedings during Diwali festival on 25-11-2011 and also when defendant dispossessed plaintiff from the suit property on 20-12-2011. Therefore, plaintiff had to file this civil suit for declaration of title with consequential relief for recovery of possession against the Defendant. The Government of M.P. through Collector is also made a defendant, but no relief has been sought against this Defendant.

Defendant's Pleadings :-

1. As per Written statement of the defendant, Plaintiff is not the owner of suit property. The suit property was the self acquired property of his uncle (plaintiff's father) and the uncle had bequeathed the land to him through a registered will, being happy with his services to him in his last days. On the basis of said registered will dated 01-09-2010, he got his name mutated in the records of suit property.

2. Plaintiff never stayed with his father, nor had provided him any help or cared for him in his life time. Plaintiff has no right over the suit property, whereas he has a registered will in his favour.

3. Also the suit is hopelessly time barred as Suit is filed in the year 2016.

Plaintiff's Evidence :-

1. Plaintiff examined himself and one more witness 'W'. Plaintiff substantially reiterated his pleadings in his statement. He also added that the defendant having misused the trust of his father, got fabricated a forged will in his favour by getting his father's signature on a blank paper. It is also averred that at the time of execution of said will, his father was not in a fit state of mind.

2. Witness 'W' supported plaintiff's contention that 'F' was not in a fit state of mind in his last time. Plaintiff is the sole legal heir

of the deceased 'F'. However, the plaintiff failed to produce any documentary evidence in support of his father's ill health and as to the source of the suit property.

Defendant's Evidence :-

1. The defendant, in his statement, supported the facts pleaded in written statement. He also supported the execution of Registered will in his favour by his uncle 'F' and further stated that the state of mind of 'F' was fit at the time of execution of will.

2. The defendant also produced one more witness 'W2' who supported defendant's pleading that defendant is in possession of the suit property since 2011. However, this witness kept silent regarding execution of Will. The defendant produced documentary evidence from Ex D1 to D5 regarding the suit property, showing that the said land was purchased by 'F' from his own earnings. The defendant has produced Registered will Ex D6 in his support.

***Arguments Plaintiff* :-**

The plaintiff argued that the will is not proved. He is the owner of the suit property being the only successor.

Arguments Defendant :-

The defendant argued that he is the owner of the suit property on the basis of the will & the suit is time barred.

निम्नलिखित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये एवं साक्ष्य का विवेचन करते हुए संबंधित विधि/अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिखिये –

वादी के अभिवचन :–

1. वादी 'पी' द्वारा ग्राम बरेली, जिला रायसेन (म0प्र0) स्थित् भूमि सर्वे क्रमांक–1011 क्षेत्रफल 8 एकड़ (एतद् पश्चात् वादग्रस्त भूमि के रूप में उल्लेखित) के संबंध में स्वत्व घोषणा एवं कब्जा वापसी का वाद अपने चचेरे भाई प्रतिवादी 'डी' के विरूद्ध प्रस्तुत किया है।

2. वादी के अनुसार वादग्रस्त भूमि उसके पिता 'एफ' की पैतृक भूमि है। उसके पिता स्वर्गीय 'एफ' वादग्रस्त संपत्ति के स्वामी एवं आधिपत्यधारी थे। वादी के पिता की 2011 में मृत्यु होने पर वादी उनका एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी होने के कारण वादग्रस्त भूमि का स्वामी हो गया। परन्तु प्रतिवादी 'डी' ने राजस्व अधिकारियों से साठ–गांठ कर वादग्रस्त भूमि हड़पने के उद्देश्य से एक फर्जी वसीयतनामे के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर अपना नाम नामांतरित करवा लिया है तथा वादी को कब्जे से जबरन बेदखल कर दिया है।

3. यह कि, वाद कारण उस समय उत्पन्न हुआ, जब दीपावली त्यौहार के दौरान दिनांक 25.11.2011 को वादी को नामांतरण कार्यवाही के संबंध में जानकारी हुई और उस समय भी उत्पन्न हुआ, जब प्रतिवादी ने वादी को वादग्रस्त भूमि से दिनांक 20. 12.2011 को बेदखल कर दिया। अतः वादी को कब्जा वापसी के पारिणामिक अनुतोष के साथ स्वत्व घोषणा का यह व्यवहारवाद प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत करना पड़ा। शासन मध्य प्रदेश द्वारा कलेक्टर को भी प्रतिवादी बनाया गया है, यद्यपि इस प्रतिवादी के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

प्रतिवादी के अभिवचन :–

1. प्रतिवादी के लिखित कथन के अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि का स्वामी नहीं है। वादग्रस्त भूमि उसके चाचा (वादी के पिता) की स्वर्जित संपत्ति है तथा उसके चाचा ने उसके द्वारा की गई सेवाओं से प्रसन्न होकर अपने अन्तिम समय में इस संपत्ति को पंजीकृत वसीयतनामा के माध्यम से उसके पक्ष में वसीयत कर दी थी। उक्त पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 01.09.2010 के आधार पर उसने वादग्रस्त भूमि के अभिलेख में अपने नाम से नामांतरण कराया है।

2. वादी कभी–भी अपने पिता के साथ नहीं रहा, न ही उनके जीवनकाल में उनकी कोई सेवा की या उन्हें कोई सहायता प्रदान की। वादी का वादग्रस्त भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। जबकि उसके पास उसके पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयतनामा है।

3. इसके अतिरिक्त यह वाद वर्ष 2016 में पेश होने से निराशाजनक रूप से समय बाधित है।

वादी की साक्ष्य :–

1. वादी ने स्वयं का एवं एक अन्य साक्षी 'डब्ल्यू' का परीक्षण कराया है। वादी ने अपने अभिवचनों की पुनरावृत्ति अपने कथन में की है। उसने यह भी कहा है, कि प्रतिवादी ने उसके पिता के विश्वास का दुरूपयोग कर उसके पिता से खाली कागज पर हस्ताक्षर लेकर अपने पक्ष में एक कूटरचित वसीयतनामा तैयार किया है। इसके अतिरिक्त वादी का यह भी अभिकथन है, कि वसीयत के निष्पादन के समय उसके पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी।

2. साक्षी डब्ल्यू ने वादी के इस कथानक का समर्थन किया है, कि 'एफ' अपने अन्तिम समय में मस्तिष्क की उपयुक्त अवस्था में नहीं थे। वादी अपने मृत पिता का एकमात्र उत्तराधिकारी है। तथापि, वादी अपने पिता के बुरे स्वास्थ्य के संबंध में एवं संपत्ति के स्त्रोत के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है।

प्रतिवादी की साक्ष्य :–

1. प्रतिवादी ने अपने कथन में जवाबदावे में अभिवचनित तथ्यों का समर्थन किया है। उसने अपने चाचा 'एफ' द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत का समर्थन किया है तथा आगे यह भी व्यक्त किया है, कि वसीयत के निष्पादन के समय 'एफ' का मस्तिष्क ठीक अवस्था में था।

2. प्रतिवादी द्वारा भी एक अन्य साक्षी 'डब्ल्यू–2' को प्रस्तुत किया गया है, जो प्रतिवादी के इस अभिवचन का समर्थन करता है, कि प्रतिवादी वादग्रस्त संपत्ति पर वर्ष 2011 से कब्जे में है। तथापि, यह साक्षी वसीयत के निष्पादन के संबंध में मौन रहा है। प्रतिवादी ने प्रदर्श डी–1 लगायत डी–5 की दस्तावेजी साक्ष्य इस संबंध में प्रस्तुत की है, जिससे यह प्रकट होता है, कि कथित भूमि 'एफ' द्वारा अपने स्वयं की आय से खरीदी गई थी। प्रतिवादी ने रजिस्टर्ड वसीयतनामा प्रदर्श डी–6 अपने समर्थन में प्रस्तुत किया है।

तर्क वादी :–

वादी ने तर्क किया कि वसीयतनामा विधि अनुसार प्रमाणित नहीं है तथा वह एकल उत्तराधिकारी होने के कारण वादग्रस्त भूमि का स्वामी है।

तर्क प्रतिवादी :–

प्रतिवादी का तर्क है कि वह वसीयतनामे के आधार पर वादग्रस्त भूमि का स्वामी है एवं वाद अवधि बाधित है।

JUDGMENT/ORDER (CRIMINAL) WRITING (JMFC)
निर्णय/आदेश (दांडिक) लेखन (JMFC)

Q. 4 Frame the charge and write a judgment on the basis of the allegations and evidence given hereunder by analyzing the evidence, keeping in mind the relevant provisions on the concerning law. **40**

Prosecution Case

On 04-12-2020 in the morning at or about 08:00 AM informant 'B' lodged a first information report with police station

city kotwali Rewa to the effect that he resides in village khaurkoti within thana city kotwali Rewa. On 30-11-2020 in the evening at or about 07:00 PM while he was resting in his drawing room just after he came from office suddenly accused A1 and A2 because of his open drainage towards their plot started to abuse 'B'. When 'B' went out to see what is happening outside A1 and A2 chased 'B' with Lathi inside the house and assaulted 'B' because of which 'B' sustained bleeding injuries over head and on right arm. When 'W', wife of 'B', tried to save 'B', accused A1 and A2 also gave Lathi blows to 'W', who sustained bleeding injuries over left arm and right leg. When other family members of 'B' and neighbours came and shouted to save 'B' and 'W', both the accused persons intimidated 'B' by threatening to cause death and fled away from the place of incident. 'B' immediately went to Bichiya hospital Rewa along with 'W' and after discharge from the hospital on 04-12-2020 'B' with plaster in his right arm and bandage over his head along with 'W' went to city kotwali Rewa and lodged the report. There by police registered a case under crime no. 946/20, witnesses were examined, accompanied by the informant and victim, site plan was prepared and on obtaining MLC from the bichiya hospital Rewa, it was found that 'W' sustained simple injuries and 'B' sustained grievous injuries caused by hard and blunt object. Accused A1 and A2 were arrested, Lathi's were also seized from them and after completion of investigation charge sheet against A1 and A2 was filed.

Defence plea

Both the accused persons advanced defence that complainant has grudge because they are prohibiting complainant from draining water in their open plot. Complainant and his wife fell down from motorcycle and lodged a false complaint to take advantage of the situation.

Prosecution evidence

Prosecution has examined as many as 5 witnesses. In

examination in chief 'B' (PW1) stated that on the date and time of incident the accused A1 and A2 entered into his house and assaulted him over right arm and right side on the head with lathi's and when his wife 'W' (PW2) tried to save him both the accused persons also gave lathi blows to 'W'. When his family members and neighbours came and shouted over to accused A1 and A2, they fled away from the spot of incident. The report filed by him is EXP1 and spot map prepared before him is EXP2. He remained admitted in hospital for 3 days because his right arm was fractured. In cross examination 'B' (PW1) has denied the suggestion of defence that he has sustained injuries from fall by the motorcycle.

Another injured witness 'W' (PW2) also supported the prosecution version to the extent of B's (PW1) prosecution case.

Prosecution witness 'R' (PW3) who is real brother of 'B' has supported the prosecution version to the extent of B's prosecution case.

Doctor 'D' (PW4) also corroborated the version of 'B' and 'W' by proving their MLC report exhibit P3 and P4, X-Ray report of 'B' EXP5 and X-Ray plate & article A1 and A2 with minor variation that injuries on 'W' was on right arm and right leg.

Investigating officer 'I' (PW5) has supported all the proceedings done by him in the course of investigation.

Evidence for defence

Accused persons have denied all the inculpatory circumstances put to them in examination under section 313 Cr.P.C. Accused persons examined his neighbour 'N' who deposed that the plot of A1 is beside the house of 'B' and all the water from his drainage is collecting in the plot making it a marsh land. A1 and A2 who are father and son requested 'B' many times to make arrangement for the drainage but instead of this 'B' who is a well-to-do person and a Municipal officer has lodged a false report against A1 and A2. 'B' has recently purchased a new motorcycle

and he is unable to drive it and had fallen from the motorcycle and sustained various injuries.

Argument for prosecution

Prosecution has established the case fully. There is no ground in existence to disbelieve the testimony of victims. Both accused persons are liable to be convicted for their acts.

Argument for defence

There is variation in medical and ocular evidence. No independent witness has been examined by prosecution and there is considerable unexplained delay in lodging FIR. The story of prosecution is false because 30 November 2020 was a public holiday (Kartik Poornima Gurunank Jayanti) hence no question of coming from the office by complainant arises. The standard of their defence is of preponderance of probability so they are entitled to be exonerated from the charges with which they are subjected to trial.

नीचे दिये गये अभियोजन के मामले के आधार पर आरोप विरचित करें तथा नीचे दिये गये तथ्यों, साक्ष्य व तर्कों के आधार पर विचारणीय बिन्दु बनाकर, एक सकारण निर्णय लिखिये –

अभियोजन का प्रकरण

दिनांक 04.12.2020 को सुबह करीब 08:00 बजे सूचनाकर्ता 'बी' ने आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली रीवा में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की लिखाई कि वह ग्राम खौरकोटी अंतर्गत थाना सिटी कोतवाली रीवा का रहने वाला है। दिनांक 30.11.2020 को शाम तकरीबन 07:00 बजे जब वह अपने कार्यालय से आकर अपने ड्राईंग रूम में आराम कर रहा था तो अभियुक्त ए1 एवं ए2 उनके प्लाट में उसकी खुली हुई नाली को लेकर गाली गलौंच करने लगे। जब 'बी' बाहर आकर देखा कि बाहर क्या हो रहा है तो अभियुक्त ए1 एवं ए2 'बी' का पीछा करते हुए घर के अंदर घुस आये एवं 'बी' पर लाठीयों से हमला किया जिस कारण 'बी' के सिर एवं दांयी भुजा पर रक्तश्रावयुक्त उपहतियां पहुंची। जब 'बी' की पत्नी 'डब्ल्यू' ने बचाव करने का प्रयत्न किया तो अभियुक्त ए1 एवं ए2 ने 'डब्ल्यू' को भी लाठियों से चोंटे पहुंचाई जिसके कारण उसे बांयी भुजा एवं दांये पैर में रक्तश्रावयुक्त उपहतियां कारित हुई। जब 'बी' के परिवार के अन्य सदस्य और पड़ोसी आये और 'बी' और 'डब्ल्यू' को बचाने के लिए चिल्लाये तो दोनों अभियुक्तों ने 'बी' को जान से मारने की धमकी देकर अभित्रस्त किया और घटना स्थल से भाग गये। 'बी' अपनी पत्नी सहित बिछिया

अस्पताल रीवा गया एवं दिनांक 04.12.2020 को अपने दांये भुजा में प्लास्टर, सिर में पट्टी के साथ रिपोर्ट लिखाने हेतु सिटी कोतवाली रीवा गया एवं रिपोर्ट लेख कराई। पुलिस द्वारा अपराध कमांक 946/20 के रूप में दर्ज कर साक्षियों का परीक्षण किया एवं शिकायतकर्ता एवं आहत को ले जाकर घटनास्थल का नक्शा तैयार किया। बिछिया अस्पताल से एम.एल.सी. रिपोर्ट प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि 'डब्ल्यू' के शरीर में साधारण उपहतिया एवं 'बी' को कठोर एवं भोंथरी वस्तु से गंभीर उपहतिया कारित हुई है। अभियुक्त ए1 एवं ए2 को गिरफ्तार किया गया, उनके पास से लाठियां जप्त की गईं एवं अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रतिरक्षा अभिवाक्

अभियुक्तगण का बचाव है कि फरियादी उनसे रंजिश रखता है, क्योंकि वह फरियादी के घर से निकलने वाले नाली के पानी को अपने प्लाट में आने के लिए मना करते है। फरियादी एवं उसकी पत्नी मोटरसायकिल से गिर गये हैं, एवं इन्हीं परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए अभियुक्तगण के विरूद्ध झूंठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

अभियोजन साक्ष्य

अभियोजन द्वारा 5 साक्षियों की साक्ष्य कराई गई हैं। फरियादी 'बी' (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि घटना दिनांक व समय पर अभियुक्त ए1 एवं ए2 उसके मकान के अंदर घुस आये और उसकी दांयी भुजा एवं सिर पर दांये तरफ लाठियों से हमला किया। जब उसकी पत्नी 'डब्ल्यू' (अ.सा.2) ने उसे बचाने के लिए प्रयास किया तो दोनों अभियुक्त व्यक्तियों ने 'डब्ल्यू' पर भी लाठियों से वार किये। जब फरियादी के परिवार के सदस्य और पड़ोसी आये एवं अभियुक्तगण ए1 एवं ए2 पर चिल्लाये तो ए1 और ए2 घटनास्थल से भाग गये। फरियादी द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट प्र0पी01 है, तथा उसके बताये अनुसार तैयार किया गया नक्शा मौका प्र0पी02 है। वह तीन दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा एवं उसका दाहिना हांथ फैक्चर हो गया था। प्रतिपरीक्षण में 'बी' द्वारा बचाव पक्ष के इस सुझाव से इनकार किया गया है कि उसे चोंटे गिरने से आई हैं।

अन्य आहत साक्षी 'डब्ल्यू' (अ.सा.2) द्वारा बी (अ.सा.1) के अनुसार बताये हुए अभियोजन के मामले की सीमा तक समर्थन किया है।

अभियोजन साक्षी 'आर' (अ.सा.3) जो बी का सगा भाई है, ने भी 'बी' अनुसार बताये हुए अभियोजन के मामले की सीमा तक समर्थन किया है।

डॉक्टर 'डी' (अ.सा.4) ने भी 'बी' एवं 'डब्ल्यू' के कथनों का उनकी चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी03, प्र0पी04, बी की एक्स–रे रिपोर्ट प्र0पी05 एवं एक्स–रे प्लेटस आर्टिकल ए1 और ए2 को इस विसंगती के साथ प्रमाणित किया है कि 'डब्ल्यू' को दाहिने हांथ एवं दाहिने पैर में ही चोंट आईं थी।

विवेचना अधिकारी आई (अ.सा.5) ने विवेचना के दौरान उसके द्वारा की गई

समस्त कार्यवाहियों का समर्थन किया है।

प्रतिरक्षा साक्ष्य

अभियुक्तगण द्वारा धारा 313 द.प्र.स. के परीक्षण के अंतर्गत उनके विरूद्ध दोषिता को प्रमाणित करने वाली परिस्थितियों से पूर्णतः इनकार किया है तथा अपने पक्ष समर्थन में पड़ोसी 'एन' के कथन कराये हैं, जिसके द्वारा अभिकथन किया गया है कि ए1 के प्लाट के बगल में ही 'बी' का घर है एवं 'बी' के घर से नाली का पानी ए1 के प्लॉट में ठहरता है, जिससे वह दलदल हुआ जा रहा है। ए1 एवं ए2 पिता पुत्र हैं, जिनके द्वारा कई बार 'बी' से निवेदन किया गया कि वो पानी के निकलने की समुचित व्यवस्था कर लें, किन्तु 'बी' जो स्वयं एक म्युनिसिपल अधिकारी है, ने ए1 एवं ए2 के विरूद्ध झूंठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। 'बी' ने अभी नई नई मोटरसायकल ली है एवं वह उसे चलाना नहीं जानता और मोटरसायकल से वह गिर गया तथा उसी से उसे कई चोंटे आईं हैं।

अभियोजन का तर्क

अभियोजन ने अपना मामला पूरी तरह साबित किया है। पीड़ितों की साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं हैं। अतः दोनों अभियुक्तगण को उनके कृत्य हेतु दोषसिद्ध किया जायें।

प्रतिरक्षा में तर्क

मेडिकल एवं चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य में भिन्नता है। अभियोजन द्वारा किसी भी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं किया गया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराए जाने में अस्पष्ट विलम्ब है। अभियोजन की कथा पूर्णतः झूंठी है, क्योंकि दिनांक 30.11.2020 को (कार्तिक पूर्णिमा गुरूनानक जयंती की) छुट्टी थी, अतः फरियादी के द्वारा अपने कार्यालय से आने का प्रश्न ही नहीं उठता है। उनके बचाव का स्तर संभाव्यताओं की अधिसंभावना का है। अतः वे विचारण के सभी आरोपित अपराधों से दोषमुक्ती के हकदार हैं।

****